

पटना में दिनांक-10 मार्च, 2015 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

पर्यावरण एवं वन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | सीधी भर्ती से भारतीय वन सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों जो गैर हिन्दी भाषी राज्य के हैं, का वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-5521, दिनांक-06.09.1989 निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रावधान किये जाने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | न्यायमंडल शेखपुरा के लिए अराजपत्रित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के आवश्यक कुल-145 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | छपरा जक्शन स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | राज्य के विभिन्न जिलों में 18 अनुमंडलीय न्यायालय यथा बखरी, मंझौल, बेनीपट्टी, कहलगॉव, डुमरॉव, अरेराज, पकड़ी-दयाल, टेकारी, गोगरी, बनमनखी, वायसी, धमदाहा, शाहपुर-पटोरी, नरकटियागंज, पालीगंज, बिरौल, चकिया एवं बारसोई के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 684 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2015 अधिसूचित करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजनान्तर्गत बेगुसराय जिलान्तर्गत स्मृति शेष परमेश्वरी देवी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशावे (बरौनी) एवं स्मृति शेष डेजी सिंह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलहपुर (मटिहानी) हेतु 26 पद के सृजन एवं छः पद पर वाह्य स्रोत से स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के लिए 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन रू० 101.47 (एक सौ एक रुपये सैंतालीस पैसा) प्रति क्वींटल का दर निर्धारण के संबंध में। 10. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

11. श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों का सुदृढीकरण और बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या एवं संरचना का पुनर्निर्धारण। 11. स्वीकृत।